

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश 44/129-10(HRD) देहरादून, दिनांक 25 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2023 में मा0 न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया है कि WP(S/B) 145/2016 में पारित निर्णय 10.03.2017 में मा0 न्यायालय के निर्देश के अनुसार अक्षेत्रीय वन राजियों में वन क्षेत्राधिकारी की कमी होने पर उप वन क्षेत्राधिकारी की तैनाती आवश्यकतानुसार केवल उनके वरिष्ठता के क्रम में किया जा सकता है।

अतः उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त कार्यालयाध्यक्ष/प्रभागीय वनाधिकारियों/निदेशकों जिनके अधीन अक्षेत्रीय/कार्यकारी रेंज है, को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन अक्षेत्रीय वन राजियों में वन क्षेत्राधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में उप वन क्षेत्राधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में ही आवश्यकतानुसार तैनाती की जाय।

Signed by Vinod Kumar
Date: 25-03-2023 17:04:30

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

नोट :- उप वन क्षेत्राधिकारियों की वरिष्ठता सूची विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

पत्रांक 1/18697/2023 (1)/29-1(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/महानिदेशक, वानिकी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा वन प्रबन्धन एवं अनुसंधान, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

पत्रांक 1/18697/2023 (2)/29-1(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन से मा0 न्यायालय को अयगत कराने हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)